

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
मंयुक्त मचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र संख्या-3222/मु०अ०/रामगंगा/गं०वै०अनु०/ दिनांक 10-05-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कानपुर स्थित गंगा बैराज के वार्षिक रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि रू० 330.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 82.50 लाख (रू० बयासी लाख पचास हजार) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	मद
1	गेटो के रखरखाव, मरम्मत/पहियों को बदलना, गाइड रोलर्स, रोपस, सीलस, गेटों की पेन्टिंग, आपरेटिंग प्लेटफार्म, सुपरस्ट्रक्चर एवं बैलेंस बाक्स इत्यादि।
2	बिजली बिल 150 केबीए इलेक्ट्रिक कनेक्शन
3	वेयरिंग कोट फर्श, लांचिंग अप्रंग सी०सी० ब्लाक्स की बाढ़ के कारण मरम्मत
4	मार्जिनल बंध, एफलेक्स बंध, गाइड बंध की मरम्मत
5	लाइट फिटिंग व इलेक्ट्रिक लाइट की मरम्मत
6	नालों की सफाई एवं रख-रखाव
7	रिजर्वार एरिया में जलकुम्भी की सफाई
8	बैराज के ऊपर के पुल का रख-रखाव
9	सिक्योरिटी स्टाफ-एक गनर दो गार्ड्स दो जगहों पर प्रत्येक शिफ्ट के लिए तथा सामान्य सुरक्षा हेतु दो गार्ड प्रत्येक शिफ्ट के लिए
10	साइट आफिस एवं कन्ट्रोल रूम के रख-रखाव
11	बिल्डिंग मेन्टीनेन्स-अनावासीय आफिस एवं फील्ड हास्टल के रख-रखाव, आवासीय भवनों का रख-रखाव, मार्ग के रख-रखाव, मार्ग प्रकाश, जलापूर्ति (विद्युत देयों को शामिल करते हुये) सेनिटेशन
12	अधिष्ठान व्यय

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए आर०टी०जी०एम०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से अधिशामी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।


- (2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्टऑफिस/डिपोजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यों पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (4) व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2024 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
- 2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य /वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 82,50,000 (रुपये ब्यासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010400 गंगा बैराज, कानपुर मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-28/2023/2889(1)/001-175BUDGET-2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, कानपुर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 9- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 10- मुख्य अभियन्ता(राम गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाईल/कम्यू यं टर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Non-Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▼

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-175BUDGET-2011

स्वीकृति तिथि: 16/06/2023

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2215011010400 - गंगा बैराज, कानपुर

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	Voted	Charged
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	82.50	0.00
योग :	82.50	0.00


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव